

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-कोटा/एमएसीपी/29277/2025/58

दिनांक:- 28/02/2025

---आदेश---

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017/पी.टी. दिनांक 06.10.2023 मे उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बैंड/वर्तमान मे प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
1.	अनिता चौधरी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	20.01.2016	20.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
2.	तबस्सुम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	25.01.2016	25.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
3.	ज्योति पारेता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	18.01.2016	18.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
4.	हेमन्ती महावर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	20.01.2016	20.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
5.	उषा कुमावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	18.01.2016	18.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
6.	चन्दा कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	29.01.2016	29.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
7.	सुनिता पारेता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	18.01.2016	18.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
8.	कमलेश कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	19.01.2016	19.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
9.	ममता सुमन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	18.01.2016	18.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
10.	आशा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	18.01.2016	18.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
11.	अनिता राठौर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	19.01.2016	19.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
12.	आईशा अंसारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	29.01.2016	29.01.2025 9 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
13.	दीपक कुमार गुप्ता नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	11.02.2016	11.02.2025 9 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
14.	ऐश्वर्या बुलीवाल नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	11.02.2016	11.02.2025 9 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

नोट:- 01. उक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

02. उक्त कर्मचारियों का दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-कोटा/एमएसीपी/29277/2025/58

दिनांक:-28/02/2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/झालावाड।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटा/झालावाड।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :27-02-2025 06:29:42